प्रेस नोट थाना निगोही
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 22.06.2026

"थाना निगोही पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए झपट्टा मारकर चोरी की घटना का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, माल मुकदमाती पीली धातु का झुमका, अवैध तमंचा, कारतूस व मोबाइल फोन बरामद।"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण, प्रभारी निरीक्षक थाना निगोही के नेतृत्व में थाना निगोही पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 21.06.2026 को वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर मोटरसाइकिल संख्या UP 27 BL 8269 पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की पत्नी के कान का एक झाला झपट्टा मारकर खींचकर ले जाने के संबंध में मु0अ0सं0 297/2026 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गई थी। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण 1. चाँद पुत्र नसीर निवासी ग्राम रामपुर ताहरपुर, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर एवं 2. महमूद पुत्र शहबाबू निवासी ग्राम रामपुर ताहरपुर, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 21.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण उपरोक्त को ग्राम ढकिया तिवारी में गौशाला से लगभग 200 मीटर आगे निगोही-शाहजहाँपुर मार्ग की ओर जाने वाले रोड के किनारे से समय करीब 23:40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से माल मुकदमाती एक पीली धातु का झुमका, एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर तथा एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण को विधिक कार्यवाही उपरांत मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.चाँद पुत्र नसीर उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर ताहरपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर
2. महमूद पुत्र शहबाबू उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर ताहरपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 297/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-

ग्राम ढकिया तिवारी गौशाला से 200 मी0 आगे निगोही-शाहजहाँपुर मार्ग, दिनांक 21.06.2026, समय 23.40 बजे

बरामदगी का विवरणः-

एक अदद पीली धातु (झुमका)
एक अदद नाजायज देशी तमंचा 315 बोर
एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
दो अदद मोबाइल फोन

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगण चाँद व महमूद ने पूछताछ में बताया कि वे दोनों ईंट भट्ठे पर काम करते हैं। दिनांक 20-21.06.2026 को दोनों अपनी मोटरसाइकिल से गांव से निकल रहे थे। रास्ते में निगोही-शाहजहाँपुर रोड पर चीनी मिल से पहले एक मंदिर के पास एक मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई दी, जिस पर एक महिला बैठी थी तथा उसके साथ आया व्यक्ति कुछ दूरी पर चला गया था। दोनों महिला के पास पहुंचे तथा निगोही का रास्ता पूछने के बहाने बातचीत करने लगे। इसी दौरान अवसर पाकर चाँद ने

महिला के दाहिने कान का झुमका झपट्टा मारकर खींच लिया गया और दोनों मोटरसाइकिल से मौके से भाग गए। अभियुक्तों ने बताया कि पीछा किए जाने के डर से झुमके को रास्ते में छिपा दिया था, बाद में उसे निकालकर बेचकर आपस में रुपये बांटने की योजना थी, किन्तु उससे पहले ही आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1-उ0नि0 नितिन कुमार

2-का0 देवेश कुमार

3-रि0का0 सुमित कुमार

4-रि0का0 दिपांशु कुमार